17.04.2025 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इसलिए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन कार्यवाही को संस्थगित किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। उपलब्ध विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील स्वीकार की जाती है तथा हमारा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18.07.2016 को मूल वाद के निस्तारण तक संधारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर 6 बेकम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

17/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर